

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक :

/ सम्पत्ति / 2022-23

दिनांक :

COMPUTER CODE : -----

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

महोदय,

कृपया मेरठ विकास प्राधिकरण की योजना, पॉकेट में स्थित **आवासीय**.
..... **आय वर्ग** श्रेणी के **भूखण्ड सं०** **क्षेत्रफल** **वर्ग मीटर**, आरक्षित दर रुपये ----
..... प्रति वर्ग मीटर, की दिनांक को सम्पन्न **e-Auction** का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उपरोक्त भूखण्ड की आरक्षित दर के सापेक्ष आप द्वारा **e-Auction** में प्रेषित की गयी दर अंकन रुपये प्रति वर्ग मीटर **उच्चतम्** पायी गयी, जो उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांकित के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी है।

शासनादेश सं० 72/3488/आठ-1-14-30 विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अनुसार चूँकि सम्पत्ति का स्वामित्व आवंटन पश्चात् फ्रीहोल्ड आधार पर रहेगा तदनुसार उपरोक्त भूखण्ड की फ्रीहोल्ड सहित दर अंकन रुपये प्रति वर्ग मीटर आती है। **e-Auction** की नियम एवं शर्तों के अधीन उपरोक्त सम्पत्ति का यह आवंटन कम किश्त पत्र आपको प्रेषित किया जा रहा है।

3. कृपया इस पत्र के जारी दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर **e-Auction** में भाग लेने हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट के **e-Auction** लिंक पर अप-लोड किये गये समस्त प्रपत्रों की "हार्ड कॉपी" (स्वहस्ताक्षरित विवरण पुस्तिका, डोक्यूमेन्ट फीस जमा की रसीद, **emd** जमा की रसीद, पेन कार्ड व आधार कार्ड की प्रति, आवेदक का पासपोर्ट साईज़ का एक फोटोग्राफ व कैंसिल चैक एवं फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र) प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

4. उपरोक्त भूखण्ड के सापेक्ष आवेदक द्वारा **emd** के रूप में अंकन रुपये **On line** जमा हैं। उपरोक्त भूखण्ड का फ्रीहोल्ड सहित अनुमानित मूल्य, 25 प्रतिशत धनराशि, **on line** जमा **emd** धनराशि के समायोजन के विवरण सहित आवंटन कम किश्त पत्र के जारी दिनांक से एक माह की अवधि में जमा की जाने वाली आवंटन धनराशि एवं भूखण्ड की शेष 75 प्रतिशत धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

Plot No.	Area in Sqm.	Received Rate per Sqm.	Rate with freehold	Basic Cost	Cost with freehold	25% of cost	emd	Allotment Amount	75% Amount for Instalment
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

5- कृपया उपरोक्त तालिका के कॉलम 09 में उल्लिखित देय आवंटन धनराशि प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक (**Details For RTGS Account No. 21066035769, IFSC CODE : IDIB000M679**) में अथवा एच०डी०एफ०सी०बैंक, सूर्यान्श प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ (**Details For**


(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशारी अभियन्ता

RTGS Account No. 50100056171918, IFSC CODE : HDFC0001911) उपस्थित, मरठ विकास प्राधिकरण, मरठ के पक्ष में देय बैंकर्स बैंक/बैंक ड्राफ्ट जो मरठ में देय हो, के द्वारा इस आवंटन पत्र के जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद की छाया प्रति अधीनस्थताएँ के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आवंटी कपया रसीद में आवंटित सम्पत्ति का विवरण (योजना का नाम, सैक्टर/पॉकेट, आवंटित मूखुड, श्रेणी, क्षेत्रफल व सम्पत्ति का कम्प्यूटरीज्ड कोड) मालि-मालि मरठ तथ्या प्राधिकरण के खाते में धनराशि के अन्तरण होने की तिथि को, प्रस्तावित धनराशि के भुगतान की तिथि माना जायेगा। आपको यह भी अवगत करना है कि आवंटन पत्र के जारी दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर शत प्रतिशत धनराशि का भुगतान करने पर बौद्धिक कीमत पर 2 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। रुपये पचास लाख व 50 लाख से अधिक कीमत की सम्पत्ति के सापेक्ष प्राधिकरण का पैन काड AAALM0124D का उपयोग करते हुए देय तिथियों से पूर्व 01 प्रतिशत टी0डीएस0 की धनराशि आवेदकों द्वारा स्वयं आयकर विभाग में जमा कराकर यालान की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करानी होगी।

6. यदि आप द्वारा उपरोक्त आवंटित सम्पत्ति का आवंटन नकद भुगतान के बजाय किश्तों में रखने को इच्छुक है तो उपरोक्त तालिका के कॉलम 09 पर उल्लिखित आवंटन धनराशि की आदायगी के पश्चात मूखुड मूल्य की शेष 75 प्रतिशत धनराशि अंकन रुपये ----- पर निर्धारित नियम शर्तों के अधीन ----- प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 03 वर्ष की 06 समान छमाई किश्तों में निम्नानुसार देय तिथियाँ तक जमा करनी होगी:-

ROI	Duration	Pmt. Type	Principal Amt	No. Instal.
किश्त संख्या	निर्धारित किश्त	देय तिथि	शामिल मूलधन	शामिल ब्याज
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

7. यदि आप द्वारा आवंटन मद में देय धनराशि अथवा देय किश्तें अन्य अन्य देयकों का भुगतान विलम्ब से किया जाता है तो ----- प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। आवंटन धनराशि का भुगतान विलम्ब की स्थिति में पत्र के जारी दिनांक से 02 माह की अवधि में चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज सहित अप-टू-डेट भुगतान न करने की दशा में उक्त मूखुड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी एवं तालिका में उल्लिखित किन्हीं दो किश्तों के समय से भुगतान न होने पर डिफाल्टर की दशा में मूखुड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी एवं तालिका में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

भवदीय,

प्रभासी अधिकारी सम्पत्ति,
मरठ विकास प्राधिकरण,
मरठ।

(अपना हस्ताक्षर धारण)
(आधिकारिक छाप)